समाहरणालय, बक्सर
(आपदा शाखा)

पत्रांक ..../आ0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

नजारत उप समाहर्त्ता,
बक्सर।

बक्सर, दिनांक / /2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष– 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष– 0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड– 39–2245801020005 मद मे कुल 8,00,000/– (आठ लाख) रूपये मात्र राशि का उपावंटन।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक– 1/प्रा0आ0–0–3–27/2018–76/आ0प्र0 दिनांक 15.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष– 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष– 0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड– 39–2245801020005 मद मे इस कार्यालय के पत्रांक– 03–2343/रा0 दिनांक 06.08.2018 एवं पत्रांक– 285/आ0 दिनांक 26.11.2018 द्वारा 6,66,000/– (छः लाख छियासठ हजार) रूपये मात्र उपावंटित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक– 1/प्रा0आ0–0–3–27/2018–76/आ0प्र0 दिनांक 15.01.2019 द्वारा कुल 8,00,000/– (आठ लाख) रूपये मात्र निम्न शर्तो के तहत आपको उपावंटित की जाती है :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि विस्तृत शीर्ष 28–02	वर्तमान मे उपावंटित राशि	योग
1	नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर	666000.00	800000.00	1466000.00

1. विभागीय पत्रांक– 1982/आ0प्र0 दिनांक 10.07.2017 द्वारा आवंटित राशि से राज्य एवं जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों के सुदृढीकरण के निमित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्वॉय के पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यय किया जाय।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपवांटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

3. आवंटित की गयी राशि की निकासी यथा संभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दी जाय ।

4. पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाये, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

5. आवंटित राशि के निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष–लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आकड़ो के त्रुटि पूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक– 17.04.1998 के आलोक में की जाय। व्यय की गयी राशि का महालेखाकार कार्यालयं से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक– 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 69 /आ0, दिनांक 25/01/2019 ।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/01/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

D:\Apda 2019\Jan. 2019\Letter (A 4).doc